रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/आषाढ़ 19, 1937
No. 444] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASADHA 19, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोर्ट स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 551(अ).––महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप–धारा (1) के साथ पठित और धारा 124 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संषोधन विनियम 2015 को जैसा कि इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है। केंद्र सरकार एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति संशोधन विनियम, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है जिन्हें आगे संशोधित करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009 बनाए हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(i) ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम 2015 कहे जाएंगे।

(ii) ये भारत के राजपत्र में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के प्रावधानों के अधीन यथापेक्षित केंद्र सरकार के अनुमोदन के उपरांत प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009 में अनुसूची में :–

(i) उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद के लिए क्र.सं. 46 :–

(क) कॉलम सं. 8 के अधीन प्रविष्टि को निम्नवत् बदला जाए :

अनिवार्य : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री ।

(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री/स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा ।

(iii) संबंधित विशेषता के क्षेत्र में किसी ख्यातिप्राप्त अस्पताल में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री धारकों के लिए 7 वर्ष तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा धारकों के लिए 9 वर्ष का कार्य अनुभव ।

(ii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद के लिए क्र. सं. 48

(क) कॉलम सं. 8 के अधीन प्रविष्टि को निम्नवत् बदला जाए :

अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री अथवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. की डिग्री।

(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

(iii) संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्र में किसी अस्पताल में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री धारकों के लिए 3 वर्ष तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा धारकों को 5 वर्ष का कार्य अनुभव।

(iii) वरिष्ठ सहायक सचिव के पद के लिए क्रम सं. 7 :–

(क) कॉलम सं. 12 के अधीन प्रविष्टि को निम्नवत् बदला जाए :

सहायक सचिव ग्रेड–I/विधि अधिकारी ग्रेड–I/हिन्दी अधिकारी जो रु. 20600–46500 (रु. 9100–15100 के परिशोधन पूर्व) वेतनमान में से पदोन्नति के लिए इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों जिसके न होने पर सहायक सचिव ग्रेड–I/विधि अधिकारी ग्रेड–I/हिन्दी अधिकारी जो रु. 20600–46500 (रु. 9100–15100 के परिशोधन पूर्व) वेतनमान के ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा और रु. 20600–46500 (रु. 9100–15100 के परिशोधन पूर्व) तथा रु.16400–40500 (रु. 8600–14600 के परिशोधन पूर्व) में संयुक्त रुप से संबंधित विषय में सामान्य प्रशासन विभाग में इस ग्रेड में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो महापत्तन न्यास में सहायक सचिव ग्रेड–I के पद अथवा सदृष पद धारित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/समाहन के लिए रु. 20600–46500 (रु. 9100–15100 के परिशोधन पूर्व) वेतनमान में इस ग्रेड में 5 वर्ष सेवा हो।

(iv) अनुसूची में हार्बर मास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए परिशोधित प्रक्रिया को निम्नवत् के अधीन क्रम सं. 54 में रखा जाए :–

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन	सीधी भर्ती के मामले में अधिकतम आयु सीमा (वर्षो में)	सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
54	हार्बर मास्टर (कोटि-I पोर्ट)	1	प्रथम I	रु. 43200-66000 18500. 23900(परिशोधन पूर्व)	चयन पद	45	(i) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विदेश जाने वाले जलयान पर मास्टर के रूप में अनिवार्यतः दक्षता प्रमाणपत्र अथवा पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष योग्यता धारक। (ii) अनिवार्य रूप से पायलट पर मास्टर के रूप में अथवा पायलट अथवा संयुक्त रूप से 8 वर्ष का अनुभव।

क्या (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) सीधी भर्ती के लिए अनुभव पदोन्नति/समाहन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समाहन/ प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	पदोन्नति/समाहन/प्रतिनियुक्ति के मामले में ग्रेड जिनके द्वारा किया जाना है	अभ्युक्तियॉ
9	10	11	12	13
(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं है ।	समाहन जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त विधि द्वारा समाहन के लिए सदृश पद धारित अधिकारी अथवा डॉकमास्टर/मास्टर पॉयलट/निकर्षण अधीक्षक जो किसी महापत्तन में रु. 36600-62000 (रु. 17500-22300 (परिशोधन पूर्व) में 2 वर्षो की नियमित सेवा की हो इसके लिए अर्ह है। प्रतिनियुक्ति के लिए सदृश पद धारित अधिकारी अथवा डॉकमास्टर/मास्टर पॉयलट/निकर्षण अधीक्षक अथवा इसके समकक्ष डॉक साइड पद जिन पर सरकारी/पीएसयू/स्वायतशासी निकाय में निर्धारित पद के लिए आवश्यक अनुभव हो अर्ह है। चयन मेरीट के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मे सकल ग्रेडिंग, बहुत अच्छा, से कम नहीं को मापदंड माना जाएगा।	

(v) अनुसूची में पायलट में पद पर नियुक्ति के लिए परिशोधित प्रक्रिया क्र. सं. 55 पर रखी जाए जो निम्नवत् के अधीन है:-

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन	सीघी भर्ती के मामले में अधिकतम आयु सीमा (वर्षो में)	सीघी भर्ती के विनिर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
55	पायलट	13	प्रथम I	रु. 29100—54500 14500—18700 (परिशोधन पूर्व)	लागू नहीं है ।	40	(i) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विदेश जाने वाले जलयान पर मास्टर के रूप में अनिवार्यत: दक्षता प्रमाणपत्र अथवा पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष योग्यता धारक। (ii) मास्टर/चीफ ऑफिसर के रूप में विदेश जाने वाले जलयान पर 1 वर्ष का शिक्षण उपरांत अनुभव

क्या (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएं (ग) सीधी भर्ती के लिए अनुभव पदोन्नत/समाहन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षो में)	भर्ती की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समाहन/ प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	पदोन्नति/समाहन /प्रतिनियुक्ति के मामले में ग्रेड जिनके द्वारा किया जाना है	अभ्युक्तियाँ
9	10	11	12	13
लागू नहीं ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं ।	----

[फा. सं. पी.आर./12012/15/2013—पीई—I]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख विनियम—कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 जो कि भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 767(अ) दिनांक 20.10.2009 के तहत प्रकाशित।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

G.S.R. 551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees of Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said Amendment Regulation shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) AMENDMENT REGULATIONS, 2015

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations to further amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, namely :

1. **Short Title and Commencement** :-

(i) These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force from the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, in the Schedule.-

(i) For the post of Deputy Chief Medical Officer (Specialist) at Sl.No.46.-

(a) the entries under column 8 shall be substituted as under:

"Essential : (i) MBBS Degree from a recognized University.

(ii) A Post Graduate Medical Degree or Post Graduate Medical Diploma in the specified speciality from a recognized University.

(iii) Post qualification experience of 7 years for Post Graduate Medical Degree holders and 9 years for Post Graduate Medical Diploma holders in a reputed hospital in the relevant field of specialization."

(ii) For the post of Sr. Medical Officer (Specialist) at Sl. No. 48.-

(a) the entries under column 8 shall be substituted as under:

"Essential:- (i) MBBS Degree from a recognized University or for Sr. Medical Officer (Dental), BDS Degree of a recognized University.

(ii) A Post Graduate Medical Degree or Post Graduate Medical Diploma in the specified speciality from a recognized University.

(iii) Post qualification experience of 3 years in a hospital, in the relevant field of specialization in the case of Post Graduate Degree holders and 5 years experience in the case of Post Graduate Diploma holders".

(iii) For the post of Senior Assistant Secretary at Sl.No.7.-

(a) the entries under column 12 shall be substituted as under:

"Promotion from Assistant Secretary Gr.I/Law Officer Gr.I/Hindi Officer in the scale of Rs.20600-46500 (Rs. 9100-15100 pre-revised) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Secretary Gr.I/Law Officer Gr.I/Hindi Officer in the scale of pay of Rs. 20600-46500 (Rs. 9100-15100 pre-revised) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs.20600-46500 (Rs. 9100-15100 pre revised) and Rs.16400-40500 (Rs. 8600-14600 pre revised) in the respective discipline of General Administration Department. Absorption/Deputation will be of officers holding analogous posts or post of Asstt. Secretary (Gr. I) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 (Rs. 9100-15100 pre-revised) with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust."

(iv) In the Schedule, the revised manner of appointment for the post of Harbour Master shall be inserted as Sl. No. 54.-

Sr. No.	Name of post	No. of posts	Classi-fication	Scale of pay (₹)	Whether selection or non-selection	Upper Age limit for direct recruit-ment (in yrs)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Harbour Master (Category-1 Port)	1	Class I	₹ 43200- 66000 ₹ 18500-23900 (Pre-revised)	Selection	45	(i) Must hold a certificate of competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognized by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold Pilot licence and have experience of 8 years either as Master of foreign going ship or in Piloting or cumulative.

Whether (a) Age (b) Educational qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in yrs)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/ deputation, grades from which it should be made.	Remarks
9	10	11	12	13
(a) : No (b) : Yes (c) : No	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dock Master/Master Pilot/Dredging Supdt. in the scale of pay Rs. 36600-62000 (Rs. 17500-22300 pre revised) with 2 years regular service in the grade in a Major Port are eligible. For deputation, officers holding analogous posts or holding posts of Dock Master/Master Pilot/Dredging Supdt. and its equivalent dock side post with experience as mentioned above in Govt./PSUs/Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit, for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

(v) In the Schedule, the revised manner of appointment for the post of Pilot shall be inserted as Sl.No. 55.-

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classifi-cation	Scale of Pay (₹)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Pilot	13	Class-I	₹ 29100-54500 ₹ 14500-18700 (pre-revised)	NA	40 years	**Essential:-** (i) Must hold a certificate of competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognized by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) One year post qualification experience as Master/Chief Officer of a foreign going ship.

Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/ absorption/deputation, grade from which it should be made	Remarks
9	10	11	12	13
NA	2	By direct recruitment	NA	

[F. No. PR-12012/15/2013-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

Footnote: (i) **Principal Regulations**–The Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India, vide GSR No. 767(E) dated 20.10.2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.